IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई लिमिटेड
(सीआईएनः L74899DL1993GOI053677)
नागरिक चार्टर

दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

1. आईएफसीआई क्या है

आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) की स्थापना एक सांविधिक निगम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम विकास वित्तीय संस्थान के रूप में उद्योग को मध्यम तथा दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम", के नाम से की गई थी । वर्ष 1993 में आईएफसी अधिनियम के निरसन के बाद, आईएफसीआई कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन गई । **आईएफसीआई एक सरकारी कम्पनी है और आईएफसीआई की प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की 63.81% की हिस्सेदारी है ।** आईएफसीआई लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक में सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में भी पंजीकृत है तथा यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी अधिसूचित है ।

2. आईएफसीआई का दृष्टिकोण

"समग्र औद्योगिक तथा अवस्थापना क्षेत्रों के लिए अग्रणी विकास संस्थान बनना तथा देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए एक प्रभावी साझेदार बनना ।"

3. आईएफसीआई का उद्देश्य

उद्योग तथा अवस्थापना क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए सर्वोत्तम कार्य-नीतियां बनाना तथा देश में चल रहे औद्योगिक तथा अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी मूल क्षमताओं का उपयोग करना । समग्र हिस्सेदारों की संतुष्टि के अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए एक प्रतिस्पर्द्धात्मक, ग्राहकोन्मुख तथा विकासोन्मुख संस्थान के रूप में कार्य करना ।

4. हम दृष्टिकोण को पूरा करते हैंः

- निगमित ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सलाहकारी सेवाएं तथा ढांचागत मिश्र उत्पाद प्रदान करना, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

  ✓ ऋणियों से निरन्तर और अनवरत् सम्बन्ध बनाने के लिए ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि के अनुरूप परम्परागत मिश्र उत्पाद।

  ✓ ऐसा मिश्र उत्पाद बनाने की वचनबद्धता जो एक कारोबार/उद्योग क्षेत्र से दूसरे कारोबार/उद्योग क्षेत्र में परिवर्तित हो सके।

  ✓ निगमित क्षेत्र की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित बनाए गए संरचित ऋण उत्पाद।

- ✓ ग्राहकों से समग्र संव्यवहारों में उचित तथा उपयुक्त रूप से कार्य करना।
- ✓ उत्पादों और सेवाओं के बारे में स्पष्ट सूचना प्रदान करते हुए एकीकरण तथा पारदर्शिता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ग्राहकों से संव्यवहार ।
- ✓ ग्राहक के विवरण की निजता तथा गोपनीयता बनाए रखना और सुनिश्चित करना ।

- परियोजना प्रबन्धन एजेंसी (पीएमए) तथा विभिन्न उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई) तथा भारत सरकार के अन्य प्रयासों में भारत सरकार के "मेक इन इण्डिया" तथा "डिजिटल इण्डिया " कार्यक्रम में व्यापक रूप से सहयोग देना ।

5 चार्टर का उपयोग

डिस्क्लेमरः
यह अधिकारों और/या दायित्वों का सृजन करने वाला एक विधिक प्रलेख नहीं है । इस चार्टर का उद्देश्य आईएफसीआई लिमिटेड और/या इसकी सहायक/सहयोगी कम्पनियों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के सम्बन्ध में उचित प्रक्रियाओं का प्रवर्तन करना है ।

6. आईएफसीआई का कारोबार

- आईएफसीआई का मुख्य कारोबार विनिर्माण, सेवाओं और अवस्थापना क्षेत्रों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
- यह परियोजना विकास, परियोजना मूल्यांकन, नीतिगत विश्लेषण, निगमित पुनर्संरचना तथा कानूनी सलाह के लिए परामर्शकारी सेवाएं भी प्रदान करता है ।
- आईएफसीआई निम्नलिखित भी करता हैः

क) आईएफसीआई निजी क्षेत्र में पावर को-जेनरेशन तथा एल्कॉहल/इथानॉल के उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए **चीनी विकास निधि** ऋणों के अनुवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है ।

ख) आईएफसीआई **अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना** के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसके लिए भारत सरकार ने समाज के निम्न वर्ग में उद्यमीयता को बढावा देने के लिए अनुसूचित जाति के युवा और अपना उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए जिसके लिए बैंकों को ऋणों के मद्दे गारंटी देने के लिए **200** करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ।

ग) आईएफसीआई को मई, **2017** में इलैक्ट्रानिक्स एण्ड आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने **आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)** के अधीन दावों के सत्यापन के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया । भारत सरकार द्वारा इस योजना का प्रारम्भ इलेक्ट्रोनिकी पद्धति डिजाइन व विनिर्माण (ईएसडीएम) में दीर्घावधि विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई, **2012** में किया गया ।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

घ) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आईएफसीआई को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स व सेमीकंडकर्क्स के निर्माण के प्रवर्तन के लिए योजना हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया । इस योजना की लागत **3,285** करोड़ रुपए है और इस पर पात्र वस्तुओं के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर पूंजी व्यय पर **25%** का प्रोत्साहन दिया जाएगा । यह योजना प्रारम्भ में **3** वर्ष की अवधि के लिए **31/03/2023** तक आवेदकों के लिए खोली गई है और प्रोत्साहन राशि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से **5** वर्ष के अंदर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होगी ।

ड.) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएफसीआई लिमिटेड को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा तथा इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रोनिक में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर विनिर्माण योजना के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए कार्य करेगी । इस योजना की लागत **40,951** करोड़ रुपए है और इसका प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित पात्र उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के बाद) पर **4%** से **6%** तक बढ़ाया जाएगा ।

च) भारत में महत्वपूर्ण की-स्टार्टिंग मटीरियल्स (KSMs) / ड्रग इन्टरमेडिएट्स (DIs) /एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना - इस योजना की अवधि 10 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2029-30) है जिसका परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है और योजना के अधीन स्थापित की गई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से विनिर्मित 41 चिन्हित केएसएम/डीआई/एपीआई उत्पादों (जिसमें 53 एपीआईज शामिल हैं) की बिक्री के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है । योजना की अवधि के दौरान विभिन्न खण्डों के लिए प्रोत्साहन की दर 5% से 20% तक है । योजना के मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना जिससे चिन्हित केएसएम, ड्रग इन्टरमेडिएट्स व एपीआईज के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणामस्वरूप भारत की 53 महत्वपूर्ण एपीआईज में आयात की निर्भरता को कम किया जा सके ।

छ) मेडिकल डिवाइसिस के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना - इस योजना की अवधि 8 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28) है जिसका परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए है । इस योजना में भारत में निर्मित वस्तुओं पर 5% वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के पश्चात्) का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह लक्षित उत्पादों के अधीन समाहित होगा तथा यह पांच वर्षों की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक होगा । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है ।

ज) आईएफसीआई को बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

(I) देश व विश्व स्तर के सामान्य अवस्थापना सुविधाओं (CIF) की आसान पहुँच प्रदान करने के लिए पार्क में स्थित बल्क ड्रग यूनिट्स में बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करने और इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने, घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर थोक दवाओं में निर्भरता और

(II) उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में मदद करना।

(III) वित्तीय वर्ष **2020-21** से वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल **3,000** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन तीन बल्क ड्रग पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी।

झ) मेडिकल डिवाइसिस पार्कों का प्रवर्तन । योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

(I) विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का सृजन जिससे भारतीय मेडिकल डिवाइस उद्योग को वैश्विक लीडर बनाया जा सके ।

(II) विश्व स्तरीय सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं के लिए आसान पहुँच बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता के परिणामस्वरूप घरेलू उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और घरेलू बाजार में मेडिकल डिवाइसिस की उपलब्धता की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।

(III) संसाधनों और अर्थव्यवस्थाओं के स्तर के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का उपयोग करना ।

(IV) वित्तीय वर्ष **2020-21** से वित्तीय वर्ष **2024-25** के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल **400** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन चार मेडिकल डिवाइसिस पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

ञ) **उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।** इस योजना का उद्देश्य भारतीय ब्रांडों के खाद्य उत्पादों को वैश्विक व्यवहार्यता के लिए मजबूत करने, निवेश बढ़ाने, फलों, सब्जियों और खराब होने वाले घरेलू कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा देने और चुनिंदा एसएमई अभिनव / जैविक खाद्य उत्पादों को सशक्त करना है जिससे वैश्विक खाद्य निर्माण का सृजन कर उन्हें चैंपियन बनाया जा सके। योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 8 वर्ष है जिसमें कुल परिव्यय 10,790 करोड़ रुपए है।

ट) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई को आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया । योजना का कार्यकाल 4 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25) है, जिसमें कुल परिव्यय 7,325 करोड़ रुपए है । इस योजना को भारत में निर्मित सामान के लिए तथा पात्र कम्पनियों हेतु लक्षित खण्ड के अधीन चार (4) वर्ष की अवधि के लिए निवल वृद्धिशील बिकी (आधार

वर्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के बाद) पर 4% से 2%/1% के प्रोत्साहन तक बढ़ाया जा सकता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करना है । इस योजना के तहत लक्षित खंड हैः लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर।

ठ) वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में एमएमएफ परिधान और फैबरिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि कपड़ा उद्योग को आकार और पैमाने हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके; विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजनकर्ता बनाया जा सके। यह योजना एक व्यवहार्य उद्यम और प्रतिस्पर्धी कपड़ा उद्योग के निर्माण का समर्थन करने के लिए है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान 10,683 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ प्राप्त वृद्धिशील कारोबार पर प्रोत्साहन 5 साल की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के लिए उपलब्ध होगा ।

ड) आईएफसीआई को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। 25,938 करोड़ के परिव्यय के साथ इस योजना का कार्यकाल 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) है। योजना में दो भाग हैंः-

I. चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना - यह योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों के निर्माण के लिए 13-18% का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

II. कम्पोनेंट चैम्पियन प्रोत्साहन योजना - यह योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी कम्पोनेंट के निर्माण के लिए 7.2-18% तक के प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना व लाभप्रद निर्माण करना शामिल है।

ढ) आईएफसीआई को भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम - नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी करने से संबंधित गतिविधियों के लिए नियुक्त किया गया है। 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना का कार्यकाल 7 वर्ष है। इस योजना में एसीसी के लिए पचास (50) GWh की संचयी ACC निर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रोत्साहन केवल उन्हीं फर्मों (जिन्हे इसके बाद में "लाभार्थी फर्म" कहा जाएगा) की पेशकश की जाएगी, जिन्हें उक्त कार्यक्रम के तहत एसीसी उत्पादन क्षमता (सभी लाभार्थी फर्मों के लिए संचयी क्षमता के साथ 50 GWh) के लिए अनुरोध आमंत्रित करके एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से आवंटित किया गया है। प्रस्ताव (आरएफपी)। लाभार्थी फर्म को एसीसी निर्माण सुविधा के न्यूनतम पांच (5) जीडब्ल्यूएच स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नकद सब्सिडी प्रति लाभार्थी फर्म 20GWh पर सीमित होगी। चयनित लाभार्थी फर्म को 2 साल की अवधि के भीतर आरएफपी के तहत आवंटित विनिर्माण सुविधा स्थापित करनी होगी और उसके बाद 5 साल की अवधि में सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार का इरादा है कि घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को अधिकतम मूल्यवर्धन और गुणवत्ता उत्पादन पर जोर देने के साथ गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए और पूर्व-निर्धारित क्षमता स्तर को पूर्व-निर्धारित सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

ण) आईएफसीआई लिमिटेड को **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के उद्योग और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) विभाग द्वारा व्हाइट गूड्स(एयर कंडीशनर्स व एलईडी लाइटस) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) के रूप में** कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करना, निर्माण को लाभप्रद बनाना, निर्यात बढ़ाना, एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र और रोजगार सृजन करना शामिल है। इस योजना का परिव्यय ₹6,238 करोड़ है और यह भारत में निर्मित पात्र वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

- आईएफसीआई ने संस्थानात्मक विकास में मुख्य भूमिका अदा की है और विभिन्न संगठनों जैसे टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (टीएफसीआई), एसेट केयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इन्टरप्राइज लि. (एसीआरई), इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि. (आईडीएफसी), पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (पीटीसी), क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईएल), जीआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सिक्युरटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसटीसीआई), नॉर्थ ईस्टर्न डिवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई), दि ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (ओटीसीईआई), इकरा लिमिटेड (पहले इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इण्डिया लि. के रूप में ज्ञात), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), टैक्नीकल कंस्ल्टेंसी आर्गेनाईजेशंस (टीसीओज) तथा सामाजिक क्षेत्र संस्थान जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), प्रबन्ध विकास संस्थान (एमडीआई) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी) को प्रवर्तित किया ।

- आईएफसीआई ने अपने क्रियाकलापों को सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से आवासीय एवं वाणिज्यक क्षेत्र, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, वित्तीय सलाहकारी, स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सेवाएं, फैक्टरिंग आदि के रूप में अवस्थापना विकास में विविधता दी है ।

सहायक कम्पनियां

आईएफसीआई की निम्नलिखित छः सहायक कम्पनियां हैं:

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)
4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)
5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन)
6. एमपीकॉन लिमिटेड

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

स्टेप डाऊन सहायक कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित आईएफसीआई की निम्नलिखित सात स्टेप डाऊन सहायक कम्पनियां हैं:

1. आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड
2. आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
3. आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड
4. आईफिन क्रेडिट लिमिटेड
5. एसएचसीआईएल सर्विसिज लिमिटेड
6. स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मेनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड
7. स्टॉक होल्डिंग सिक्युरीटीज आईएफएससी लिमिटेड

सहयोगी कम्पनियां:

आईएफसीआई की एक सहयोगी कम्पनी अर्थात् किटको लि. है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित तकनीकी परामर्शकारी संगठन हैं:

उक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड का प्रबन्धन का दायित्व भी सौंपा है । इसका प्रबन्धन आईएफसीआई की एक सहायक कम्पनी अर्थात् आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. द्वारा किया जा रहा है । यह निधि एक वैकल्पिक निवेश निधि है, जिसे अनुसूचित जाति के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है । इस समय इस निधि के अधीन कुल 606.18 करोड़ रुपए का निकाय है, जिसमें से आईएफसीआई ने 66.96 करोड़ रुपए (जिसमें पूलिंग ऑफ इन्ट्रस्ट की मार्फत 16.96 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल हैं) प्रदान किए हैं तथा शेष 539.22 करोड़ रुपए (जिसमें पूलिंग ऑफ इन्ट्रस्ट की मार्फत 59.21 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल हैं) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ।

आईएफसीआई के उत्पादों और सेवाओं के विवरण हमारी वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध हैं ।

7. **हमारे ग्राहक**
   अवस्थापना, विनिर्माण, सेवाएं, अचल सम्पदा, कृषि आधारित और अन्य विविध क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योग/क्षेत्रों की कम्पनियां ।

8. **हम ग्राहकों से क्या आशा रखते हैं**
   - सूचना की घोषणा और प्रस्तुतीकरण, जब भी अपेक्षित हो, में ईमानदारी ।
   - अपने ग्राहक को जानिए सूचना के अधीन निर्धारित नियामक अपेक्षाओं और काले धन को वैध न बनाने सम्बन्धी दिशानिर्देशों का पालन ।
   - ऋण को उसी कार्य में उपयोग करना जिसके लिए उसे लिया गया है ।
   - प्रदान की गई वित्तीय सहायता के निबन्धनों और शर्तों का ईमानदारी से पालन करना ।
   - शिकायतों को, यदि कोई हों, हमारी शिकायत निपटान प्रणाली की मार्फत हमारी वेबसाइट पर हमारे समाधान के लिए डालना ।
   - हमारी सेवाओं के सुधार के लिए और नए आयाम जोड़ने के लिए अपने कीमती फीड बैक देना ।

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

9. आचार-नीति

- व्यावसायिक, कुशल तथा विनम्र तरीके से सेवाएं प्रदान करना ।
- धर्म, जाति, लिंग, वंश या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव न करना ।
- ऋण उत्पादों के विज्ञापन तथा मार्केटिंग करने में निष्पक्ष तथा ईमानदार रहना ।
- संगठन के अंदर शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना करके ग्राहकों के झगड़ों या मतभेदों का नेकनीयत से निपटान करने का प्रयास करना ।
- सभी नियामक अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करना ।

10. शिकायत निवारण प्रणाली

आईएफसीआई ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है । तथापि, गुमनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा । ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों (विद्यमान तथा सेवानिवृत्त दोनों) को उनकी शिकायतों को दर्ज करने, शिकायत स्थिति को ट्रेक करने तथा आईएफसीआई लि. से उत्तर प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होगी ।

शिकायत दर्ज करने के लिए लिंकः https://ifciltd.com/grievance/
ई-मेल आईडीः hod.ccd@ifciltd.com

आईएफसीआई की सहायक कम्पनियों तथा सहयोगी कम्पनियों के नागरिक चार्टर के लिए कृपया सम्बन्धित कम्पनियों की वेबसाइट देखें, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

सहायक कम्पनियां

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) - www.shcil.com
2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) - www.iidlindia.com
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) - www.ifciventure.com
4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) - www.ifcifactors.com
5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन) - www.ifinltd.in
6. एमपीकॉन लिमिटेड - www.mpconsultancy.org

सहयोगी कम्पनियां

1. किटको लिमिटेड - www.kitco.in

निवेशक शिकायत तंत्र

क) इक्विटी में निवेशों से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक तथा डी-मैट धारिता के लिए वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित रजिस्ट्रार से अपना फोलियो नं./डीपी तथा क्लायंट आईडी देते हुए सम्पर्क कर सकते हैं :

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि॰
एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेस 1, नई दिल्ली 110020
टेलिफ़ोन नं॰ 011 41406149, 51 व 52
ईमेल आईडी 1: admin@mcsregistrars.com
ईमेल आईडी 2: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
ईमेल आईडी 3: helpdeskreply@ mcsregistrars.com
फैक्स नं॰ **011 41709881**

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

निवेशक आईएफसीआई में निम्नलिखित नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैंः

<u>नोडल अधिकारी</u>

सुश्री शर्मिला छिकारा, सहायक महाप्रबन्धक,
निवेशक शिकायत कक्ष, आईएफसीआई लि॰
आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली – 110019
ईमेल : sharmila.chhikara@ifciltd.com

ख) आईएफसीआई के विभिन्न बांडों/डिबेंचरों में निवेश से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित रजिस्ट्रारों से सम्पर्क करेंः

बांड सीरीज	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम	पता	सम्पर्क अधिकारी	सम्पर्क नं.	ई-मेल आईडी
इन्फ्रा I व II	मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर्स सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड	बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110 062	श्री एस पी गुप्ता/श्री संजय रस्तोगी	011-29961281/ 82/83 011-26051061	ifci@beetalfinancial.com spgupta123@gmail.com ifciinfrabonds@gmail.com www.beetalfinancial.com ifcibonds4@gmail.com
इन्फ्रा III, IV, V व आईएफसीआई एनसीडी का ट्रेंच I व II	केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	सिलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032	श्री उमेश पाण्डेय/ श्री राजशेखर पोलीशेट्टी	040-67161500 040-67161595 040-67161589 040-67161672 1800-3454-001	umesh.pandey@kfintech.com einward.ris@kfintech.com polishetty.rajshekar@kfintech.com shweta.singh01@kfintech.com www.kfintech.com
सब-अर्डिनेट बॉण्ड सीरीज I व III	लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.	सी-101, 247, पार्क एलबीएस मार्ग, विखरौली (वेस्ट), मुम्बई – 400083	श्री धन्जी जोधाले श्री अजित पटानकर	22-49186000 एक्सटेंशन 2106	bonds.helpdesk@linkintime.co.in www.linkintime.co.in teambonds@linkintime.co.in dhanaji.jondhale@linkintime.co.in ajit.patankar@linkintime.co.in
फ़ैमिली बांड	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि॰	एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली 110020	श्री बीएमएस नेगी श्री नरेंद्र नेगी	011-41406149, 50 व 51	helpdeskdelhi@mcsregistrars.com bonds@mcsregistrars.com bmsnegi@ mcsregistrars.com

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

शिकायतों के निपटानों पर संतुष्टि न होने के मामले में बांड/डिबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें जो उनकी शिकायतों को 7 कारोबारी दिनों के अंदर निपटाएगाः

आईएफसीआई में बांड-वार नोडल अधिकारियों के विवरण निम्नानुसार हैंः

- **इन्फ्रा बांडों व सार्वजनिक गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, टियर ।। बांडों (सीरीज । व ।।।) तथा फैमिली बांडों** के सम्बन्ध में -
  - श्री आशुतोष वर्मा, सहायक प्रबन्धक
  - श्री राजेश सिंगारिया, सहायक महाप्रबन्धक

  ई-मेलः infrabonds@ifciltd.com, ifcipublicissue@ifciltd.com, ifcitier2bonds@ifciltd.com तथा familybonds@ifciltd.com

- अन्य निजी धारित बांडों व टियर ।। बांडों (सीरीज II,IV,V) के सम्बन्ध में –
  श्री के पी जड़ोदिया, सहायक महाप्रबन्धक
  ई-मेलः ppbonds@ifciltd.com

शिकायत का उत्तर 3 कारोबारी दिनों के अंदर दिया जाएगा । यदि शिकायत का उत्तर 7 कारोबारी दिनों के अंदर नहीं प्राप्त होता, निवेशक नीचे दिए गए अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं -

सुश्री छवि सिंघल, उप महाप्रबन्धक
ई-मेलः bondscomplianceofficer@ifciltd.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
आईएफसीआई में सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) /केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है । आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना दी जाती है । आवेदक, जो दी गई सूचना से संतुष्ट न हों या जिन्हें समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे निर्धारित समय अवधि के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं । सीपीआईओ/सीएपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट पर डाले गए हैं और परिवर्तन होने पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

हमारा पता
आईएफसीआई लि.
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली – 110019
वेबसाइटः www.ifciltd.com
टेलीफ़ोनः +91-11-41792800, 41732000, 26487444
फैक्स नं. +91-11-26230201

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई के निम्नलिखित स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं –

आईएफसीआई हैदराबाद कार्यालय तारामंडल कॉम्प्लेक्स, (8वां तल) 5-9-13 सैफाबाद, हैदराबाद – 500004 फ़ोनः 040- 23243505/06 फैक्स नं॰ : 040- 23241138	**आईएफसीआई कोलकाता कार्यालय** चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, (तृतीय तल)33-ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता – 700071 फ़ोनः 033-22262672 फैक्स नं॰ : 033- 22171618
आईएफसीआई मुम्बई कार्यालय *अर्नेस्ट हाउस, (9वां तल)* *एनसीपीए मार्ग, नरीमन पाइंट* *मुम्बई – 400021* *फ़ोनः 022- 61293400* *फैक्स नं॰ : 022- 61293440/41*	

****